



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का सदस्य

एक परिवार एक बैंक

पोस्टल बैलेट सूचना NOTICE OF POSTAL BALLOT

ई-वोटिंग की अवधि / E-Voting period
27 अप्रैल, 2020 से 26 मई, 2020 तक
27th April, 2020 to 26th May, 2020

प्रधान कार्यालय: "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

HEAD OFFICE: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

टेली. / Tel.: 020 25511360 ई-मेल / E-mail: investor_services@mahabank.co.in

वेबसाइट / Website: www.bankofmaharashtra.in



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय: "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005

पोस्टल बैलेट सूचना

प्रिय शेयरधारक/ कों,

एतदद्वारा इस सूचना को, समय समय पर यथासंशोधित सेबी के विनियमन (लिस्टिंग अनिवार्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएँ), 2015 के विनियम 44 एवं कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन), 2014 के नियम 22 (समय-समय पर कृत सांविधिक आशोधन या पुनर्धिनियमन सहित) के अनुसरण में निम्नलिखित विशेष संकल्प को पोस्टल बैलेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया (अर्थात ई-वोटिंग) द्वारा पारित करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के (जिसे आगे से 'बैंक' संदर्भित किया जाएगा) शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प एवं उसके व्याख्यात्मक कथन में तात्विक तथ्य एवं उसके कारण प्रस्तुत किए गए हैं।

बैंक ने पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे की सुश्री मालती कुमार (सीओपी क्र. 10890) या उनकी अनुपस्थिति में सुश्री अश्विनी वर्तक (सीओपी क्र.16723) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के सामान्य परिपत्र क्र. 17/2020 के अनुसरण में, बैंक अपने सभी शेयरधारकों को ईमेल के जरिए पोस्टल बैलेट की सूचना भेज रही है, जिन्होंने अपने ई-मेल बैंक/ डिपोजीटरी/ आर.टी.ए. के पास पंजीकृत किए हैं। जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल बैंक/ डिपोजीटरी/ आर.टी.ए. के पास पंजीकृत नहीं किए हैं; वे investor_services@mahabank.co.in / helpdeskmum@mcsregistrars.com को मेल प्रेषित कर पोस्टल बैलेट की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट की सूचना बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध की गई है।

देश में कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति के कारण और एमसीए परिपत्र के अनुसरण में, बैंक शेयरधारकों को इस पोस्टल बैलेट के लिए पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ पोस्टल बैलेट नोटिस की भौतिक प्रति और प्री-पेड बिजनेस लिफाफा नहीं भेज रहा है।

साथ ही, बैंक विशेष संकल्प पर मतदान करने के लिए शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। शेयरधारक पोस्टल बैलेट की सूचना में उल्लिखित संकल्प पर केवल रिमोट ई-वोटिंग से ही वोट कर सकते हैं। शेयरधारकों की सहमति या असहमति, सूचना में लिखित संकल्प पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र क्र. 17/2020 के अनुसार ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए ली जाएगी।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस पोस्टल बैलेट की सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसमें दिए गए ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन करें।

ई-वोटिंग की अवधि समाप्त होने के पश्चात संवीक्षक पोस्टल बैलेट पर अपनी रिपोर्ट प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) को या निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई निदेशक/ अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। पोस्टल बैलेट मतदान का परिणाम दिनांक 28 मई, 2020 को सांय 5.00 बजे या उससे पूर्व घोषित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा। पोस्टल बैलेट ई-वोटिंग के परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in और ई-वोटिंग एजेंसी www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

एजेंडा मद क्र. 1: भारत सरकार को बैंक के ₹10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर अधिमान आधार पर जारी करना:

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने के लिए विचार करना और स्वीकृति / अस्वीकृति देना :

“प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (“दी एक्ट”), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (“द स्कीम”) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 (“द रेग्यूलेशन”), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (“सेबी”) और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी यदि कोई हो के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और नियमों के अधीन और जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है तथा जो भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2018 (सेबी आईसीडीआर विनियम), समय-समय पर यथा संशोधित और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों और स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली कोई समिति जो इसके अधिकारों तथा संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो “सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के विनियम 164 के अनुसरण में यथानिर्धारित भारत सरकार (जीओआई) को अधिमान आधार पर ₹10/- प्रति मूल्य

(रुपए दस मात्र) के कुल ₹ 831/- करोड़ (रुपए आठ सौ इकतीस करोड़ मात्र) के ईक्विटी शेयरों को (प्रीमियम सहित) नकद मूल्य पर उत्पन्न, प्रस्तावित, निर्गम तथा आबंटित करेगा।

यह प्रस्ताव भी है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध दिनांक 24 अप्रैल, 2020 नियत की जाए।

यह प्रस्ताव भी है कि बोर्ड को भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।

यह प्रस्ताव भी है कि उक्त ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे।

यह प्रस्ताव भी है कि उपर्युक्तानुसार निर्गम किए जाने वाले नए इक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा जहां नए इक्विटी शेयरों के आबंटन के दिनांक पर बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने / प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य, करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित, हेतु कृत्य, कर्म, कार्य, करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की है, सभी दस्तावेजों व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा उसे यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक/कों या बैंक के ऐसे ही किसी अन्य अधिकारी या समिति जिसे उक्त संकल्प को प्रभाव देने हेतु उचित समझा जाए, को प्रत्यायोजित किए जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

स्थान : पुणे
दिनांक : 22 अप्रैल, 2020

(ए. एस. राजीव)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

टिप्पणियाँ

1. सभी भौतिक तथ्यों और कारणों को बताते हुए व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न है।
2. पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ यह नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन शेयरधारकों को भेजा जा रहा है, जिनके ईमेल पते बैंक/ डिपॉजिटरी/ आर.टी.ए. के पास पंजीकृत हैं। बैंक के जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल पते बैंक/ डिपोजिटरी/ आर.टी.ए. के पास पंजीकृत नहीं किए हैं; वे investor_services@mahabank.co.in / helpdeskmm@mcsregistrars.com को मेल प्रेषित कर पोस्टल बैलेट की सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
3. शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि पोस्टल बैलट का यह नोटिस बैंक की वेबसाइट, www.bankofmaharashtra.in और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात् www.evotingindia.com पर उपलब्ध होगा।
4. शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2020 ("अंतिम तिथि") के शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत इक्विटी शेयरों के भुगतान-मूल्य पर मतदान के अधिकार की गणना की जाएगी। केवल वे शेयरधारक जिनके नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थियों के रजिस्टर में अंतिम दिनांक के अनुसार दर्ज किए जाएंगे, वे पोस्टल बैलट या ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। एक व्यक्ति जो अंतिम दिनांक पर सदस्य नहीं है, उसे पोस्टल बैलट के इस नोटिस को केवल सूचना के लिए माना जाना चाहिए।
5. बैंकिंग कंपनियों की धारा 3 के उप-धारा (2 ई) (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के संदर्भ में, केंद्र सरकार के अलावा अन्य नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक रखे गए शेयरों के संबंध में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।
6. शेयरधारक ई-वोटिंग अवधि के दौरान, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात् www.evotingindia.com पर उपलब्ध मात्र ई-वोटिंग माड्यूल के माध्यम से संकल्प पर वोट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक द्वारा कोई भौतिक बैलेट फार्म नहीं भेजा जा रहा है तथा संकल्प पर शेयरधारकों की सहमति या असहमति कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र क्र. 17/2020 के अनुसार केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए ली जाएगी।
7. यह संकल्प, यदि अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया, तो मंगलवार, 26 मई, 2020 को पारित अर्थात्, ई-वोटिंग के लिए बैंक द्वारा निर्दिष्ट अंतिम तिथि माना जाएगा।

8. शेयरधारकों को संकल्प पर अपना वोट करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया का उपयोग करना होगा।

9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि संकल्प पर वोट करने हेतु निम्नलिखित ई-वोटिंग अनुदेशों को पढ़ें।

10. ई-वोटिंग प्रक्रिया:

i. निर्दिष्ट अंतिम दिनांक अर्थात् 17 अप्रैल, 2020 को भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोट दे सकते हैं। सभी शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 27 अप्रैल, 2020 के सुबह 09:00 बजे से मंगलवार, 26 मई, 2020 के शाम 05:00 बजे तक खुली रहेगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को ई-वोटिंग हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

I. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:

क) ई-वोट करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

i. निम्नलिखित यूआरएल टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर खोलें:

<https://www.evotingindia.com/>

ii. शेयरहोल्डर पर क्लिक करें- **लॉग-इन**

iii. अब अपना यूजर आई-डी डालें।

क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी,

ख) एनएसडीएल के लिए: 8 अंकों के डीपी आई-डी के बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी,

ग) भौतिक रूप में शेयर धारण करनेवाले सदस्यों द्वारा बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर डालना चाहिए।

iv. उसके बाद प्रदर्शित इमेज वेरीफिकेशन को एंटर करें तथा लॉग-इन को क्लिक करें।

v. यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं तथा आपने पहले भी www.evotingindia.com पर लॉग-इन कर किसी अन्य कंपनी के लिए वोटिंग की है, तो आप मौजूदा पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

- vi. यदि आप इसका पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

	डीमैट रूप में तथा भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	<p>आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का *पैन नंबर डालें (डीमैट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों के लिए भी लागू)</p> <ul style="list-style-type: none"> • जिन सदस्यों ने अपना पैन नंबर बैंक / आरटीए/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अद्यतीत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे पैन फील्ड में अपने नाम के प्रथम दो अक्षर और अनुक्रम संख्या के 8 अंकों का प्रयोग करें। • यदि अनुक्रम संख्या 8 अंकों से कम की है तो अपने नाम के प्रथम दो अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखने के बाद अनुक्रम संख्या लिखने के पूर्व आवश्यक संख्या के लिए शून्य का प्रयोग करें। उदाहरणार्थ, यदि आपका नाम रमेश कुमार(Ramesh Kumar) है और अनुक्रम संख्या 1 है तो पैन फील्ड में RA00000001 टाइप करें।
लाभांश बैंक का ब्यौरा या जन्मतिथि (डीओबी)	<p>लॉग-इन करने के लिए आरटीए के अभिलेख/ बैंक में या आपके डीमैट खाते में अभिलेखित जन्मतिथि (डीडी/एमएम/वाईवाई फॉर्मेट में) या लाभांश बैंक का विवरण डालें।</p> <ul style="list-style-type: none"> • यदि दोनों ही विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के साथ अभिलेखित नहीं हैं तो कृपया निर्देश (iii) में उल्लिखित अनुसार लाभांश बैंक विवरण में सदस्य आई-डी/ फोलियो नंबर डालें।

- vii. इन विवरणों को उचित रूप में डालने के बाद 'सबमिट' बटन दबाएं।
- viii. इसके बाद भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य सीधे बैंक चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तथापि, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रियेशन' मेन्यू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें नए पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग-इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का इस्तेमाल वोट देने हेतु पात्र होने पर किसी अन्य कंपनी प्रस्तावों हेतु वोटिंग करने के लिए भी किया जाना चाहिए बशर्ते कि सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग हेतु कंपनी का विकल्प उपलब्ध हो। आपसे अनुरोध है कि अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में सतर्कता बरतें।

- ix. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए ब्यौरे का इस्तेमाल केवल इस नोटिस में उल्लिखित संकल्पों पर ई-वोटिंग हेतु किया जा सकता है।
- x. प्रासंगिक <बैंक ऑफ महाराष्ट्र> के लिए वोट देने हेतु चयनित ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- xi. वोटिंग पेज पर आपको 'रिजोल्यूशन डिस्क्रिप्शन' और उसके सामने वोटिंग हेतु विकल्प 'हां/ नहीं' दिखाई देगा। इच्छानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां से तात्पर्य है कि प्रस्ताव पर आपकी सहमति है और नहीं से तात्पर्य है कि प्रस्ताव पर आपकी असहमति है।
- xii. यदि आप समग्र प्रस्तावों की सूची देखने के इच्छुक हैं तो 'रिजोल्यूशन फाइल लिंक' पर क्लिक करें।

कार्यसूची मद क्रमांक 1 के लिए

- xiii. वोटिंग पेज पर, **निर्दिष्ट दिनांक** को अर्थात् शुक्रवार 17 अप्रैल, 2020 को शेयरधारक के पास बैंक के मौजूदा शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी।
- xiv. कार्यसूची मद क्रमांक 1 के संबंध में आप मामले के अनुसार सहमति या असहमति पर क्लिक कर सकते हैं। कृपया उचित विकल्प का चयन कर वोट करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें तथा सकेत दिए जाने पर 'कनफर्म' दबाएं।
- xv. एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ओके' पर क्लिक करें अन्यथा वोट बदलने के लिए 'कैंसिल' बटन दबाएं एवं तदनुसार अपने वोट में संशोधन करें।
- xvi. आपके द्वारा एकबार कार्यसूची मद को 'कनफर्म' किए जाने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं है।
- xvii. आप वोटिंग पेज पर 'क्लिक हेयर टू प्रिंट' पर क्लिक कर किए गए वोट की प्रिंट भी ले सकते हैं।
- xviii. यदि आपके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं और आप अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आई-डी और इमेज सत्यापन कोड टाइप करें तथा फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें एवं सिस्टम द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करें।

xix. शेयरधारक एनड्रॉयड आधारित मोबाइल के लिए उपलब्ध सीडीएसएल के मोबाइल ऐप एम-वोटिंग के माध्यम से भी वोट डाल सकते हैं। एम-वोटिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐपल और विंडो फोन का इस्तेमाल करनेवाले लोग क्रमशः ऐप स्टोर और विंडो फोन स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाइल से वोट करते समय मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए दिशानिर्देशों का पालन करें।

xx. गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए नोट

क) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-इन कर कॉर्पोरेट के रूप में अपने को पंजीकृत करना चाहिए।

ख) इकाई के हस्ताक्षर और मुहर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए।

ग) लॉग-इन ब्यौरे प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कम्प्लायन्स यूजर निर्मित किया जाए। कम्प्लायन्स यूजर उस खाते(खातों) को लिंक करने में समर्थ होगा जिनके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं।

घ) लॉग-इन में लिंक खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन किए जाने पर वे अपना वोट डालने में समर्थ होंगे।

ड) बोर्ड रिजॉल्यूशन और मुख्तारनामा (पीओए) जो उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन प्रति संवीक्षक के सत्यापन हेतु प्रणाली में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।

ii) यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपकी कोई शंका या कठिनाई है तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या आप श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सीडीएसएल, 'ए' विंग, 25^{वां} तल, मैराथॉन फ्यूच्यूरैक्स, मफतलाल मिल्स कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (ई), मुंबई - 400013 या टोल फ्री क्र.

1800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं या आप helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल कर सकते हैं।

iii) शेयरधारक अद्यतीत ई-वोटिंग दिशानिर्देश के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in- होम पेज पर [इनवेस्टर](#) रिलेशन लिंक को भेंट दे सकते हैं।

11. पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग संपन्न होने के बाद संवीक्षक द्वारा विशेष प्रस्ताव के प्रत्येक कार्यसूची मद के पक्ष में या विरोध में पड़े कुल वोट पर एक संवीक्षक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

स्पष्टीकरण कथन :

कार्यसूची मद क्र.1:

सेबी (आईसीडीआर) नियमावली 2018 के अनुसार आवश्यक प्रकटन

क) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने अपने दिनांक 17 मार्च, 2020 के संप्रेषण द्वारा बैंक को सूचित किया है कि भारत सरकार (जीओआई) के पक्ष में इक्विटी शेयर के अधिमानी आबंटन द्वारा बैंक को पूंजी के रूप में रु.831 करोड़ (रुपए आठ सौ इक्तीस करोड़ मात्र) देने का निर्णय लिया है। भारत सरकार (जीओआई) द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2020 को एप्लिकेशन राशि भी प्रेषित की गई है तथा इसे एक अलग खाते में रखा गया है। निदेशक मंडल ने 26.03.2020 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर रु.831 करोड़ (प्रीमियम सहित) के इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव को अपना अनुमोदन प्रदान किया है। उगाही गई पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता में सुधार एवं बैंक के व्यवसाय वृद्धि हेतु निधियन के लिए किया जाएगा।

ख) जारी किए जाने वाले निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की अधिकतम संख्या

पोस्टल बैलेट के अंतिम दिनांक अर्थात् मंगलवार, 26 मई, 2020 को विशेष प्रस्ताव को पास माना जाएगा। सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अनिवार्यता) विनियमावली, 2018 की विनियमावली 161 के अनुसार शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2020 प्रासंगिक दिनांक है तथा निर्गम मूल्य की गणना सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अनिवार्यता) विनियमावली, 2018 की विनियमावली 164 के अनुसार की जाएगी। निर्गम मूल्य तथा भारत सरकार ('जीओआई') को आवंटित और जारी किए जानेवाले शेयरों की संख्या प्रासंगिक दिनांक के बाद स्टॉक एक्सचेंज को सूचित की जाएगी।

ग) निर्गम के पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता का स्वरूप :

क्रम संख्या	श्रेणी	निर्गम से पूर्व	
		शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
क	प्रवर्तकों की धारिता	5386578326	92.49
ख	गैर-प्रवर्तकों की धारिता	437530974	7.51
	कुल	5824109300	100.00

निर्गम पश्चात :

निर्गम मूल्य और भारत सरकार को आबंटित किए जानेवाले ईक्विटी शेयरों के निर्धारण के बाद निर्गम पश्चात शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टॉक एक्सचेंज और शेयरधारकों को सूचित किया जाएगा।

घ) चूंकि संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को जारी किया गया है, (प्रमुख शेयरधारक एवं प्रवर्तक), अतः बैंक के प्रबंधन/ नियंत्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।

इ) विशेष संकल्प के अनुसरण में आबंटन को ऐसे संकल्प के पारित होने के 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि में पूरा किया जाएगा बशर्ते कि सेबी (एसएएसटी) विनियम, 2011 के प्रयोज्यता से छूट हेतु कोई आवेदन अथवा किसी विनियामक प्राधिकारी अथवा केंद्र सरकार से आबंटन हेतु कोई अनुमोदन या अनुमति लंबित है, तो 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि की गणना ऐसे आवेदन पर आदेश के दिनांक अथवा अनुमोदन या अनुमति की दिनांक, जैसा भी मामला हो, से की जाएगी।

च) भारत सरकार (जीओआई) को अधिमानी निर्गम के अंतर्गत जारी और आबंटित किए जाने हेतु प्रस्तावित सभी शेयर सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2018 के 167 विनियम के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी नए ईक्विटी शेयरों के “क्रय-विक्रय अनुमोदन” के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के लिए अवरूद्ध रहेंगे।

छ) भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी शेयरधारिता नए ईक्विटी शेयरों के “क्रय-विक्रय अनुमोदन” के दिनांक से छह माह की अवधि, जो संबंधित दिनांक से प्रारंभ होगी, के लिए अवरूद्ध रहेगी।

ज) सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक(परीक्षकों) द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र कि निर्गम इन विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार है, यह होगा तथा प्रस्तावित अधिमानी निर्गम पर विचार करते हुए पोस्टल बैलेट के परिणामों की घोषणा के दिनांक तक बैंक के पंजीकृत कार्यालय और बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

झ) जहां आवश्यक हो, बैंक इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्यों की पुनर्गणना करने का वचन देता है।

ञ) बैंक यह वचन देता है कि इन विनियमों में अनुबंधित समय-सीमा के भीतर यदि मूल्य की पुनर्गणना के कारण कोई रकम देय होती है, जिसका भुगतान नहीं हुआ है, तो आबंटिती (allottee) द्वारा ऐसी रकम के भुगतान के समय तक विशिष्ट प्रतिभूतियों को अवरुद्ध (लॉक-इन) सूची में रखा जाएगा।

ट) बैंक स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट में विनिर्दिष्ट किए अनुसार इक्विटी शेयरों के सतत सूचीकरण की शर्तों का अनुपालन कर रहा है।

ठ) भारत सरकार ने संबद्ध दिनांक से पूर्व 6 माह की अवधि के दौरान बैंक के किसी इक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की है। साथ ही, जारीकर्ता बैंक में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर डिमटेरियलाइज्ड (बेकागजीकृत) स्वरूप में हैं।

ड) चूंकि प्रस्तावित अधिमानी निर्गम से पूर्व भारत सरकार की शेयर धारिता 75% से अधिक है, सेबी (एसएसटी) विनियम, 2011 की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

ढ) बैंक या इसके प्रवर्तक या इसके कोई निदेशक इरादतन चूककर्ता नहीं हैं, आईसी डी आर विनियम की अनुसूची VI में विनिर्दिष्टानुसार प्रकटन लागू नहीं हैं।

ण) बैंक का कोई भी निदेशक फरार आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया गया है।

निदेशक मंडल, सूचना में उल्लेख किए अनुसार विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, बैंक के किसी भी निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों का ऊपर उल्लिखित संकल्प में कोई हित या किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : पुणे

दिनांक : 22 अप्रैल, 2020

(ए. एस. राजीव)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ